हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रकरण संख्या :– 20/2025

दिवेश कुमार बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम बीबासर पटवार हल्का बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 1144/725, 1145/725, 722, 725/929, 738, 740/877, 750 कुल किता 7 का कुल रकबा 4.18 है0 भूमि अवस्थित है। आवेदक उक्त भूमि का रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है, परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार पुत्र बहादुर सिंह गलत दर्ज हो गया जबकि उसका वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजों में दिवेश कुमार पुत्र बहादुर सिंह है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम दिवेश कुमार दुरूस्त करने की अनुशंषा की है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बीबासर पटवार हल्का बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 1144/725, 1145/725, 722, 725/929, 738, 740/877, 750 कुल किता 7 का कुल रकबा 4.18 है0 कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार पुत्र बहादुर सिंह की बजाय दिवेश कुमार पुत्र बहादुर सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)